REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 14 | ISSUE - 8 | MAY - 2025

बिहार में सुशासन और जन जीवन हरियालीः एक समीक्षात्मक अध्ययन

डा. दिनेश कुमार
सहायक प्रध्यापक (अतिथि), ए.एन.एस. कालेज, बाढ़, पटना ।

शोध आलेख का सारः

शासन का सुन्दर, स्वच्छ, पारदर्शी तथा जन हितकारी रूप ही सुशासन है। समाज, राजनीति, अर्थ तथा सांस्कृतिक जीवन में व्याप्त विषमताओं की समाप्ति, जटिलताओं का सरलीकरण तथा वैयक्तिक स्तर पर सुखद अनुभूति प्रदान करने से सुशासन सम्बन्धित है। सैद्धान्तिक रूप में सुशासन एक अवधारणा है, जो शासन को व्यावहारिक, विस्तृत तथा प्रभावकारी बनाता है। पिछले 15 वर्षों से बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सुशासन शब्द का प्रयोग बहुत ही तेजी से प्रचलन में आया। कभी संकटग्रस्त कहे जाने वाले बिहार राज्य में एक और शब्द 'नया बिहार' को भी खूब प्रचारित किया गया। 'नया बिहार' की शब्दावली को इजाद करते हुए शासन प्रणाली को अत्यधिक विकेंद्रीकृत व जनअभिमुखी बनाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये, जैसे-सूचना के अधिकार कानून को अधिनियमित एवं क्रियान्वित करना; ई-प्रशासन, लोक सेवा अधिकार कानून, अति पिछड़ा वर्ग आयोग, किसान आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महादलित आयोग, बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली, बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम तथा पंचायती राज में महलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण इत्यादि। इन प्रयासों से पूर्व की तुलना में प्रशासन स्वच्छ और पारदर्शी हुआ और आम लोगों में शासन के प्रति विश्वास बढ़ा।

मूल शब्दः सुशासन, स्वच्छ, पारदर्शी, लोक कल्याणकारी, सम्पोषित विकास, ई-शासन, कानून का शासन, मितव्ययी प्रशासन, उत्तरदायित्व।

प्रस्तावनाः

प्रारम्भ में शासन का एकमात्र कार्य कानून व व्यवस्था को स्थापित करना था, जिसे व्यक्तिवादी विचारकों ने सुशासन कहा था। व्यक्तिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेन्सर ने तो उस शासन को सर्वोत्तम शासन कहा, जो कम-से-कम कार्य करता हो। लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक जन कल्याण को प्रभावी रूप में सम्पन्न करने वाली शासन को ही सुशासन का नाम दिया। आधुनिक उदारवाद का एक रूप नव-उदारवाद के समर्थकों ने परम्परागत उदारवादियों के समान सीमित शासन को उत्तम शासन माना है।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा शासन तथा सुशासन विषयक विचार दिए गए हैं। विश्व बैंक द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार "विकास हेतु देश के आर्थिक एवं सामाजिक साधन स्रोत के प्रबन्धन में शक्ति के प्रयोग के तरीकों को ही शासन अथवा प्रशासन कहा जाता है। विश्व बैंक ने इसके साथ यह भी प्रतिपादित किया है कि किसी भी देश के 'सम्यक् एवं सम्पोषित विकास' के लिए सुशासन आवश्यक है। इस संस्था ने शासन के प्रमुख आयामों में राजनीतिक शासन पद्धति, आर्थिक व सामाजिक प्रणाली का प्रबन्धन तथा विकास हेतु सरकार-प्रायोजित नीति-निर्धारण व क्रियान्वयन महत्त्वपूर्ण है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संस्था 'आर्थिक सहयोग एवं विकास के लिए संगठन' (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) ने किसी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए साधनों के प्रबन्धन में राजनीतिक सत्ता का प्रयोग तथा नियंत्रण को ही

शासन तथा समुचित व व्यापक रूप में उसके क्रियान्वयन को सुशासन कहा है। वैश्विक शासन से सम्बन्धित आयोग ने 1995 ई. में शासन को परिभाषित करते हुए कहा कि "सरकारी एवं निजी संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले कार्यों के प्रबन्धन का समग्र रूप ही प्रशासन है। यह एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें परस्पर विरोधी एवं बहुल हितों का समन्वय होता है तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।" यह उल्लेखनीय है कि उक्त आयोग ने शासन के कार्यों का सम्पादन औपचारिक-अनौपचारिक दोनों रूपों में स्वीकार किया है।

शासन व सुशासन पर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, जिसके द्वारा उत्तरदायित्व, आर्थिक, सहभागिता, विधि का शासन तथा सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं की सहभागिता जैसे प्रशासन के सम्मिलित रूप को ही सुशासन माना गया। दक्षिण एशिया में मानव विकास से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए तथा सुशासन पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। सुशासन के लिए राजनीति व प्रशासन के अन्तर्गत विधि का शासन, उत्तरदायित्व, आर्थिक, स्वतंत्रा एवं निष्पक्ष बहुदलीय निर्वाचन, कठोर व कम लचीला संविधान तथा शक्ति-पृथक्करण सिद्धान्त के प्रयोग को महत्वपूर्ण माना गया। सुशासन हेतु आर्थिक शासन के अन्तर्गत वृहद् आर्थिक स्थायित्व, सम्पत्ति के अधिकारों की प्रत्याभूति, स्थिर बाजार-व्यवस्था, मानव निवेश, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा तथा प्रगतिशील वित्तीय प्रणाली का अनुप्रयोग होता है। इनके अतिरिक्त सम्मेलन में नागरिक शासन को सुशासन के लिए अनिवार्य माना गया, जिसमें एक ओर नागरिकों को भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं मानवीय अधिकारों की प्राप्ति होती है तो दूसरी ओर महिलाओं, निर्धनों, प्रजातीय एवं धार्मिक अल्संख्यकों का सशक्तिकरण होता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme, UNDP) ने 1997 ई. में सुशासन की स्थापना जैसे अवधरणा को बहुआयामी माना है। यू. एन. डी. पी. के अनुसार किसी देश के अन्तर्गत मामलों के प्रत्येक स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक सत्ता का प्रबन्धन ही शासन है, जिनमें जन-सहभागिता, विधि का शासन, पारदर्शिता, प्रभावशीलता औचित्य तथा जन-चेतना महत्वपूर्ण हैं। दूसरे शब्दों में, इन सबका प्रभावी प्रयोग ही सुशासन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण यूनेस्को ने भी 1997 ई. में सुशासन को परिभाषित करते हुए कहा है कि "किसी भी समाज के घनात्मक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास में नागरिकों की सहभागिता ही सुशासन है।"

सुशासन के लिए 'स्मार्ट शासन' (SMART= Simple, Moral, Accountable, Responsive, Transparant Governence) का प्रतिमान आवश्यक प्रतीत होता है। स्मार्ट शासन (SMART Governance) के द्वारा साधारण व सर्वसुलभ व्यवस्था को स्थापित करने पर बल दिया जाता है। नैतिकता के लिए कार्य किया जाता है; व्यवस्था को उत्तरदायी बनाया जाता है; हर स्तर पर प्रभावशीलता व उत्तरदायित्व को सुनिश्चित की जाती है; प्रशासन के सभी स्तरों पर पारदर्शिता को आधार बनाकर शासन किया जाता है। स्मार्ट शासन यानी सुशासन का प्रभाव राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था तथा समाज-व्यवस्था में दृष्टिगोचर होती हैं।

सुशासन के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा जिन प्रतिरूपों को प्रस्तुत किया गया हैं अथवा विद्वानों ने जो विचार दिया हैं, उनको आधार बनाकर सुशासन की कई विशेषताएँ बताई जा सकती हैं:

1. सुशासन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता प्रभावी एवं कुशल प्रशासन को स्थापित करना है। इसके लिए प्रशासन का विशेषीकरण, मानवीकरण तथा परिस्थिति के अनुरूप अन्य प्रकार के सुधार तथा नवीनीकरण आवश्यक है।
2. सुशासन के लिए सरकारी संस्थाओं की वैधता को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। सरकारी संस्थाओं की वैधता का तात्पर्य यह है कि सरकारी संस्थाएँ 'कानून का शासन' (Rule of Law के अनुसार कार्य करें।
3. सुशासन का सम्बन्ध प्रशासन को उत्तरदायित्व से ओत-प्रोत बनाना है। संविधान, जनता, सामाजिक न्याय तथा अनेकानेक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रशासनिक प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना भी सुशासन से सम्बन्धित है।
4. सुशासन का सम्बन्ध नागरिक जीवन को उच्चस्तरीय बनाने से है। नागरिक जीवन को उच्चस्तरीय बनाने के लिए शासन विविध रूप में व्यापकता एवं सूक्ष्मता के साथ कार्यों को प्रभावी बनाती है। उसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति समाज में अपनी स्वतंत्रा, सकारात्मक, संतुलित, समन्वित एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करें; वह निरोग रहे; भयमुक्त रहे तथा स्वच्छ पर्यावरण में गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करें।
5. नागरिक शासन, समाज को व्यवस्थित बनाए रखने तथा उसके संतुलित विकास हेतु कानून व व्यवस्था की स्थापना के दिशा में भी सक्रिय होता है। इसके द्वारा न केवल कानून के शासन को लागू किया जाता है, बल्कि बिना किसी के दबाव सबको समान कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया जाता है।

6. सुशासन का उद्देश्य लोक कल्याणकारी कार्यों को त्वरित रूप में सम्पन्न करना तथा जनता को संतुष्ट करना है। इसलिए यह राजनीतिक सहभागिता की अपेक्षा रखता है। सकारात्मक राजनीतिक सहभागिता को कायम करने के लिए सुशासन लोगों को 'सूचना का अधिकार' (Right to Information) भी सुलभ कराता है।
7. सुशासन का सम्बन्ध 'मितव्ययी प्रशासन' को कायम करना है। मितव्ययी प्रशासन का तात्पपर्य प्रशासनिक खर्चों में कमी लाना होता है, परन्तु इसके द्वारा जन सेवाओं को प्रभावी बनाने में अधिक खर्च किया जाता है। स्पष्टतः मितव्ययिता के सन्दर्भ में सुशासन को 'परिणाम-उन्मुख शासन' (Result Oriented Governance)कहा जा सकता है।
8. सुशासन संसाधनों के अधिकतम प्रयोग से सम्बन्धित है, लेकिन वह पर्यावरण के दोहन को कम-से-कम करना चाहता है। स्पष्टतः सुशासन पर्यावरणीय दृष्टिकोण का दूसरा नाम है। इसलिए इसे 'पर्यावरण-उन्मुख शासन' (Environment Oriented Governence) भी कहा जा सकता है। इससे सामाजिक विज्ञान में पर्यावरणवाद की अवधरणा (Concept of Environmentalism) का विकास हुआ है।
9. सुशासन मानवीय जीवन के सभी पक्ष को उच्चतर बनाने से सम्बन्धित है, इसलिए यह लोक सेवा में ही नहीं, बल्कि मानवीय जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता है; नौकरशाही के प्रभाव को कम करना चाहता है, अर्थात् नवीन लोक-प्रबन्ध (NPM) विनौकरशाहीकरण (Debureaucratisation) का समर्थन करता है तथा प्रशासनिक व्यवस्था की संरचना, प्रक्रिया, उद्देश्य तथा अन्य स्तरों में सुधार से सम्बन्धित है।
10. सुशासन सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी बनाना चाहता है, इसलिए यह विज्ञान व तकनीक को प्रशासन में व्यापक प्रयोग का समर्थक है। स्पष्टतः सुशासन को ई. शासन (E-Governance) से सम्बद्ध किया जा सकता है।
11. सुशासन सामाजिकता, मानवीयता तथा नैतिकता के हर एक उस पक्ष को स्वीकार करता है, जिनसे प्रशासन को प्रभावी बनाया जा सकता है तथा जनता को संतुष्ट किया जा सकता है। इसके सन्दर्भ में सुशासन प्रशासनिक सुधार तथा प्रशासनिक विकास ही नहीं, अन्य सभी प्रकार के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित है। स्पष्टतः 3E + 1 = 4E (Efficiencies, Effectiveness, Economy and Ethics) का समर्थन करता है।

बिहार के सन्दर्भ में 1990 का मानव विकास रिपोर्ट ने बिहार की तुलना विश्व के छः सर्वाधिक पिछड़े तथा अल्पविकसित देशों से की, जो सभी देश अफ्रीका, महादेश में हैं। देश की सामाजिक-आर्थिक सूची में सबसे निचले पायदान पर मौजूद बिहार में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय 3650 रुपये था, जो देश में न्यूनतम स्तर पर थी। राज्य की 42 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी। बाढ़ और सुखाड़ की विभिषिका से त्रस्त इस राज्य में बुनिादि ढ़ाँचे और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत की दयनीय स्थिति में था। 1990 से 2005 के वर्षो में बिहार में जो सामाजिक विषमता थी, उसमें सुधार आया और लोग सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक हुए। परन्तु आर्थिक बदहाली पूर्व की भाँति बनी हुई थी। इस बदहाली के पीछे तत्कालीन राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदार थी।

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। अंधकार के बाद घोर अंधकार और फिर सबेरा तो होना ही है। बर्तमान बिहार इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। यह जातिवाद का अखाड़ा, विकास से परहेज तथा जिसकी लाठी उसकी भैंस का पर्याय बन चुका था। बिहार एक नई दिशा की तलाश में कराह रहा था। आजादी के बाद चाहे पंजाब की हरित क्रांति हो या फिर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का औद्योगिक विकास बिहार मुख्य गबाह बनकर देखता रहा। बिहार की रजनीति विकास के नाम पर करना तत्कालीन सरकार के लिए बेईमानी था। नकारात्मक राजनीति का घड़ा लबालब भर चुका था और सकारात्मक राजनीति के लिए जाति रहित विकास का पूर्णतया खाली था। ऐसा अनुकूल अवसर बिहार राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार को प्राप्त हुआ। वर्ष 2005 में बीजेपी के साथ मिलकर शासन की नींव रखी। अपने शासन काल में उन्होंने लोक हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जो व्यवहारिक धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखने लगा।

पिछले 15 वर्षों से बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सुशासन शब्द का प्रयोग बहुत ही तेजी से प्रचलन में आया। कभी संकटग्रस्त कहे जाने वाले बिहार राज्य में एक और शब्द 'नया बिहार' को भी खूब प्रचारित किया गया। 'नया बिहार' की शब्दावली को इजाद करते हुए शासन प्रणाली को अत्यधिक विकेंद्रीकृत व जनअभिमुखी बनाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए बिहार सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये, जैसे-सूचना के अधिकार कानून को अधिनियमित एवं क्रियान्वित करना; ई-प्रशासन, लोक सेवा अधिकार कानून, अति पिछड़ा वर्ग आयोग, किसान आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महादलित आयोग, बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली, बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम तथा पंचायती राज में महलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण इत्यादि। इन प्रयासों से पूर्व की तुलना में प्रशासन स्वच्छ और पारदर्शी हुआ और आम लोगों में शासन के प्रति विश्वास बढ़ा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने पर्यावरण से संबंधित एक नयी योजना की शुरूआत की है।

गाँधी जयंती की 150 वीं वर्षगांठ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल-जीवन-हरियाली अभियान Jal Jeevan Hariyali Campaign½ की शुरुआत की। बिहार सरकार ने मौसम में आ रहे बदलाव को देखते हुए राज्य में जल-जीवन-हरियाली योजना ¼Jal Jivan Hariyali Yojana in Bihar½ को शुरू करने का निर्णय लिया। गाँधी जयंती की 150 वीं वर्षगांठ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल-जीवन-हरियाली अभियान ¼Jal Jeevan Hariyali Campaign½ की शुरुआत की। राजस्व और भूमि सुधार विभाग राज्य के सभी सार्वजनिक जल निकायों जैसे तालाबों, आहर-पाइन और कुओं की पहचान करके उनकी पूरी रिपोर्ट ड्रोन या हेलीकॉप्टर के माध्यम से तैयार करके सरकार को उपलब्ध कराएगी, जिसपर आगे की रणनीति तैयार की यांजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। जल-जीवन हरियाली अभियान ¼Jal Jeevan Hariyali Campaign½ को लेकर राज्य सरकार ने लोगों में जागरूकता पहले से ही शुरू कर दी गई थी। जल-जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत सरकार तालाबों, आहर-पाइन की उड़ाही, पौधे लगाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जहां सूखा पड़ता है वहाँ पर नदियों का पानी पहुंचाना जैसे काम एक साथ करेगी और सरकार इस योजना की मदद से आने वाले समय में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोलर लाइट इस्तेमाल करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित करेगी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रधानमंत्री जल जीवन अभियान के जैसे ही बिहार जल-जीवन हरियाली अभियान है। जिसके लिए केंद्रीय सरकार ने अलग से जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया है, जो पीएम जल जीवन अभियान के लिए वित्त का आवंटन और पूरी देख-रेख करेगा। बिहार सरकार के अनुसार बिहार राज्य हाल के दशकों में बाढ़ और सूखे से हर साल शिकार होता जा रहा है, जिसके लिए भविष्य में कुछ ठोस कदम उठाना जरूरी है। सबसे पहले राज्य सरकार पूरे प्रदेश में हर जिले की सैटेलाइट मैपिंग करेगी और राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा पहचान किए गए तालाबों, आहर-पाइन और कुओं जिन पर अवैध कब्जा है उनको सरकार अतिक्रमण मुक्त कराएगी। सड़कों के किनारे कई लाइन में पेड़ लगाये जाएंगे और बांधों, सार्वजनिक जगहों और निजी जगहों पर भी वृक्षारोपण किया जायेगा। सोलर लाइट को बढ़ावा देने के लिए सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाये जायेंगे, साथ ही साथ दो नये सोलर प्लांट भी लगाये जायेंगे। पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर कारवाई की जाएगी। वर्षा के जल संचयन के लिए जगह-जगह पर वॉटर हार्वेस्टिंग प्लांट बनाये जायेंगे और लोगों को भी इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र सीमित हैं, इसलिए वैकल्पिक स्रोतों और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा ई रिक्शा जैसे वाहन और सीएनजी चालित वाहन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषद कम करने के लिए खेतों में पुआल जलाने से रोकने के लिए सरकार ने किसानों को जागरूक किया है। किसानों को पुआल प्रबंधन कृषि यंत्रों पर 75 से 80 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में वर्षा हर साल कम होती जा रही है या फिर वर्षा कहीं पर ज्यादा हो रही है और कहीं पर कम, भूजल स्तर नीचे जा रहा है, इसीलिए बिहार राज्य में जल-जीवन-हरियाली अभियान चलाना जरूरी हो गया है सरकार प्रदेश का हरित आवरण क्षेत्र 17 प्रतिशत या इससे ज्यादा करने के लक्ष्य पर भी काम करेगी।

एक पेड़ साल में 20 किलो धूल सोखता है। 700 किलो ऑक्सीजन छोड़ता है तो 20 हजार किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। गर्मियों में एक पेड़ के पास सामान्य से लगभग 4 डिग्री कम तापमान रहता है। इस तरह घर के पास 10 पेड़ लगे हों तो आदमी की उम्र 7 साल तक बढ़ जाएगी। पर्यावरण संतुलन, पर्याप्त जल और हरित आवरण बढ़ाने के लिए राज्य में जल-जीवन-हरियाली अभियान शुरू किया गया है। 2022 तक तीन वर्षों में जल जीवन हरियाली योजना 24 हजार 524 करोड़ खर्च होंगे। यह बात ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में जल जीवन हरियाली पर आयोजित वाद विवाद में सरकार की ओर से पक्ष रखा। मंत्री ने कहा कि इस साल 26 अक्टूबर को जल जीवन हरियाली के तहत ग्रामीण विकास विभाग की 26039 सहित अन्य विभागों की 32 हजार योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस पर 1359 करोड़ खर्च का अनुमान है। मिशन मोड में इसे पूरा करने के लिए जल जीवन हरियाली मिशन का गठन किया गया है। यह योजना सभी प्रखंडों व पंचायतों के लिए है। मनरेगा के तहत पिछले दो वर्षों में अभियान चला कर 1 करोड़ पौधे लगाए गए। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ मिल कर 2019-20 में लगभग 1 करोड़ 25 लाख पौधे लगे। मंत्री कहा कि 2020 अगस्त में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2.5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। स्वच्छ व संतुलित पर्यावरण के लिए पृथ्वी पर 33 प्रतिशत हरियाली जरूरी है। जल जीवन हरियाली योजना की सफलता के लिए ग्रामीण विकास, पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, राजस्व व भूमि सुधार, लघु जल संसाधन, नगर विकास, पीएसईडी, कृषि, भवन, जल संसाधन, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, ऊर्जा, व सूचना व जनसंपर्क सहित 15 विभाग शामिल हैं। इस अभियान की मॉनीटरिंग और परामर्श के लिए राज्य स्तर पर संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति गठित है। इसमें विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामित 15 व विधान परिषद के सभापति द्वारा मनोनीत 5 सदस्य भी शामिल होंगे। जिला स्तर पर जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में समिति है। इस अभियान पर वर्षवार

खर्च 2019-20 में 5870 करोड रुपये, 2020-21 में 9874 करोड़ तथा 2021-22 में 8780 करोड़ रुपये लक्षित है। अब यह भविष्य का विषय है कि जन जीवन हरियाली योजना से बिहार को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कितनी सफलता हाथ लगी।

परिकल्पनाः

- किसी भी शोध कार्य में परिकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस शोध कार्य में निम्नलिखित परिकल्पना प्रस्तावित हैः
- सुशासन शासन का सर्वोत्तम स्वरूप है, इसके माध्यम से प्रशासन को स्वच्छ, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाया जा सकता है।
- पीछले 15 वर्षों में बिहार में प्रशासन की कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव दिखे हैं, जो सुशासन की ओर अग्रसर है।
- बिहार में पर्यावरण के संरक्षण हेतु जो कदम उठाये जा रहें है, वह देश ही संम्पूर्ण विश्व के प्राणी जगत के लिए अच्छी पहल है।

शोध आलेख का उद्देश्यः

- प्रस्तावि शोध का उद्देश्य सुशासन के परिप्रेक्ष्य में बिहार के शासन प्रणाली का अध्ययन करना।
- बिहार सरकार द्वारा किये गये कार्यों का अध्ययन कर पता लगाना कि बिहार सुशासन के मार्ग पर अग्रसर है या नहीं।
- बिहार में जितने भी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है, उससे पर्यावरण पर कितना दुस्प्रभाव पड़ा है और इसके रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किस प्रकार के कदम उठाएं जा रहे है।

अध्ययन विधिः

प्रस्तुत शोध के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक एवं समीक्षात्मक विवरणात्मक पद्धति के अतिरिक्त अन्य पद्धतियों का सहारा लिया है। वस्तुतः प्रस्तुत शोध की अध्ययन पद्धति, ऐतिहासिक एवं समीक्षात्मक विवरणात्मक है। प्रस्तुत शोध की अध्ययन पद्धति में विश्लेषण हेतु इतिहास से आधारभूत सामग्री प्राप्त किया जा रहा है तथा इस की वैज्ञानिक योजना स्वीकार्य है। इस शोध कार्य हेतु बिहार के विभिन्न संबंधित विभागों के अभिलेखों, राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय पुस्तकालयों, इन्टरनेट एवं शोध संस्थानों आदि में उपलब्ध, सामाचार पत्र-पत्रिकाएँ एवं अन्य प्रासंगिक सामग्रियों का अध्ययन किया गया है।

निष्कर्षः

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सुशासन शासन का सुन्दर रूप है; यह लगभग ई-शासन का पर्यायवाची है; यह पर्यावरणीय शासन का प्रतिरूप है; यह परिणाम-उन्मुख प्रशासन है; यह सम्पोषित विकास का सरकारी प्रयास है; यह एन. पी. ए., पी. सी. ए., एन. पी. एम. तथा एन. सी. पी. से सम्बद्ध हैं। दूसरे शब्दों में, सुशासन व्यापक, मूल्य-सम्बद्ध, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यह अवधारणा के रूप में महत्वपूर्ण व विशुद्ध लोकतांत्रिक प्रतीत होता है, परन्तु उत्तर आधुनिकतावाद एवं वैश्वीकरण के प्रभाव में इसका अनुप्रयोग सीमित व संदिग्ध है। आज सुशासन, ई-शासन बनकर सबसे नहीं, कुछ लोगों से सम्बन्धित हो रहा है, जो वैज्ञानिक तथा मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुसार आलोचनीय है। जहाँ तक बिहार में जन जीवन हरियाली योजना का सवाल है तो यह योजना अभी अपने शैशव काल में है। फिर भी जिस गति से इस योजना पर काम हो रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि भविष्य में आशानुरूप इसमें सफलता प्राप्त होगी।

सन्दर्भ सूचीः

- बोवार्ड, टॉनी एण्ड लौफलर, 2002, "मूविंग फ्रॉम एक्सेलेन्ट मॉडल्स ऑफ लोकल सर्विस डिलिवरी टू बेंचमार्किंग गुड लोकल गवर्नेंस, इन्टरनेशनल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज वॉल्यूम-67।
- जेसाट, जेमिल, 2004 "गवर्नेंस इन ए ग्लोगलाइंजिंग वर्ल्ड, इन्टरनेशनल जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वॉल्यूम 27, नं. 13 व 14 ।
- साहनी प्रदीप एण्ड उमा मेडूरी (ई.डी.एस.), 2003, "गवर्नेंस फ्रॉम डेवलपमेन्टः इशूज एंड स्ट्रेटजीज, प्रेन्टिस हॉल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
- सोभान, रहमान, (ई.डी.), 1998, टूवार्ड्स ए थियरी ऑफ गवर्नेन्स एण्ड डेवलपमेन्टः लर्निंग फ्रॉम ईस्ट एशिया, द बांग्लादेश यूनिवर्सिटी प्रेस, ढ़ाका।
- यू.एन.डी.पी. ह्यूमन डेवलपमेन्ट रिपोर्ट, "मेकिंग न्यू टेक्नोलॉजीज वर्क ह्यूमन डेवलपमेन्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू यार्क।

- वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, 1992, गवर्नेंसएण्ड डेवलपमेन्ट, वाशिंगटन।
- अरूण सिन्हा, "नीतीश कुमार एण्ड द राईज ऑफ बिहार", 2011।
- चक्रपाणि हिमांशु (2010)- 'सुशासन के चार साल: बिहार बेहाल', इंडिया न्यूज, 2-8 जनवरी।
- जानकी सिंह नंदन, बिहार विधान सभा वाद-वृत राज्य में बाढ़ और सूखा से उत्पन्न स्थिति 11 सितंबर 1956 पृ0 46।
- दिनेश कुमार मिश्रा, 'लीविंग विद फ्लड्स' इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जुलाई 21. 2001 पृ0 593।